



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2024 / 37

दर्ज दिनांक : 16.10.2024

1. रामनिवास पुत्र गोस्वधन जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)

-प्रार्थी-

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. नारायण सिंह पुत्र छोग सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
3. निलम शेखावत पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
4. पूजा कंवर पत्नी मुकेश सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
5. प्रतापसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
6. मुकेश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु

-अप्रार्थीगण-

8. प्रकाश पुत्र गोवर्धन जाति जाट निवासी निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)
9. सुमन पत्नी दीपचंद जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्युं तहसील व जिला चूरु (राज.)

-गौण अप्रार्थीगण-

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री शिवसिंह राठौड़

अप्रार्थी सं. 1 श्री ललित गौतम

अप्रार्थी सं. 2 ता 6,7,8 श्री शिवगौतम सोलंकी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251 ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955



-:निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी सं. 8 ता 9 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 60/9.8768 हैक्ट. वाके रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरु में स्थित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 8, 9 कृषि भूमि खसरा 60 के मालिक व स्वामी है प्रमाण स्वरूप प्रमाणित जमाबंदी संवत 2070-2073 संलग्न प्रार्थना-पत्र की जा रही है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रोही मौजा जोड़ी पट्टा लोहसना का मालिक व स्वामी मुख्य प्रतिवादी संख्या 01 है प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070-2073 संलग्न प्रार्थना-पत्र की जा रही है व कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही मौजा जोड़ी पट्टा लोहसना के मालिक व स्वामी मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 है प्रमाण स्वरूप प्रमाणित जमाबंदी संवत 2070-2073 संलग्न प्रार्थना-पत्र की जा रही है।
2. प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 द्वारा उक्त कृषि भूमि आज से करीब दो-ढाई वर्ष पूर्व खरीद की गई थी उक्त खरीद की गई कृषि भूमि में आवागमन हेतु पूर्व के खातेदारों द्वारा आवागमन हेतु खसरा संख्या 59 में से जाने वाले सदामत के रास्ते से होकर आवागमन करते थे इसी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के द्वारा किया जाता रहा है जिसे प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए में ए से बी दर्शाया गया है।
3. प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 की कृषि भूमि के समीप कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरु स्थित है जिसमें से होकर कटानी रास्ता विद्यमान है जिसे प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए में दिखाया गया है जो प्रार्थी लगभग 500-600 फीट दूरी पर है जिससे होकर प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 का कोई सदामत का रास्ता नहीं है किन्तु प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 को कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना में से एनेक्चर ए में दर्शाये गये सी से डी दिया जाता है तो वह सुगम एवं समीप का रास्ता होगा।
4. प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत खसरा नम्बर 60 में आवागमन का रास्ता सदामत से ही अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 59 में से एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी रास्ता रहा है, तथा प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के द्वारा उक्त कृषि भूमि खरीद किये जाने से आज तक इसी रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है।
5. प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत खसरा संख्या 60 से पहले अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 59 पड़ता है प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 एनेक्चर ए दिखाये गये ए से बी रास्ते से अपने खेत में आते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 01 का खेत प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत से पहले पड़ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत खसरा संख्या 60 से पहले खसरा संख्या 333/55 मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के खेत पड़ते हैं जिनसे होकर कटानी रास्ता प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत से लगभग 500-600 फीट की दूरी पर स्थित है खसरा संख्या 333/55 से होकर प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 का कोई सदामत का रास्ता नहीं रहा है किन्तु उक्त खेतों से होकर प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 को रास्ता दिया जाता है तो वह सुगम व निकटतम रास्ता होगा। एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी तथा सी से डी के अतिरिक्त प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

6. अप्रार्थी संख्या 01 अब इस रास्ते से प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने से बाधा डालता है तथा धमकी देता है कि मैं इस रास्ता को रोकूंगा तथा कई बार वह तरह के प्रयाभी कर चुका है, जिससे कई बार झगड़े फसाद की परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं इसलिये अब नजरी नक्शा खसरा संख्या 59 में दर्शाये मार्क ए से बी स्थान तक अथवा खसरा संख्या 333/55 में से एनेक्चर ए में दर्शाये गये सी से डी रास्ता कटवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 01 झगडालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 अप्रार्थी संख्या 01 का मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 में से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी अथवा खसरा संख्या 333/55 में से एनेक्चर ए में दर्शाये गये सी से डी रास्ता कटवाया जाना आवश्यक हो गया है तक का रास्ता काटकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे जिसके लिये यह प्रार्थना-पत्र पेश किया जा रहा है।
7. प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 ने स्वयं व गांव के मौजिज व्यक्तियों से अप्रार्थी संख्या 01 को कहा व कहलवाया कि वह अपने खेत से प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के आवागमन के रास्ता को न रोके परन्तु पहले तो वह टालमटोल करता रहा, अन्त में दिनांक 25.09.2024 को प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 की बात मानने से इंकार हो गया, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखारमत प्रार्थना-पत्र है तथा प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र पेश करने का अधिकार हासिल है।
8. तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन उन्हीं के मार्फत होना है। इसलिये उन्हें धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
9. उपरोक्त कृषि भूमि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित गांव जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरू में स्थित है इसलिये न्यायालय को श्रवणाधिकार हासिल है तथा प्रार्थना-पत्र उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 60 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरू में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 कृषि भूमि खसरा संख्या 59 अथवा खसरा संख्या 333/55 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी तथा सी से डी तक रास्ता 30 फुट चौड़ा काटकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
10. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित गौतम ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 व 8 ता 9 की ओर अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जो निम्नानुसार है-
 1. मौके पर उनवान के प्रार्थी रामनिवास पुत्र गोरधन व अप्रार्थी महावीर प्रसाद पुत्र उमाराम व प्रकाश पुत्र गोवर्धन व अन्य उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति में मौके पर जांच फर्द मौका तैयार की गई।
 2. ग्राम जोड़ी पट्टा लोहसना के खसरा नं. 60 तादादी 9.8768 में वादी रामनिवास का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 60 में आवागमन के लिए ख.नं. 59 जो ख.नं. 60 के पश्चिम में है, में से रास्ते की मांग की है। खसरा संख्या 59 के बीच से एक सदामती रास्ता

- गुजरता है जो राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नहीं है। उक्त सदामती रास्ते से ख.नं. 59 के उत्तरी सीव के चिपते रास्ता चाहा गया है। जिसकी दूरी 226 मीटर है।
3. वर्तमान खसरा संख्या 60 के खातेदार कटानी रास्ता ख.न. 81 फंटकर ख.न. 333/55 के दक्षिणी व पश्चिमी सीव के चिपते रेतीले टिब्बे के भूमि में आते जाते हैं। उक्त रास्ते के निशानात मौजूद है इसकी दूरी 195 मीटर है।
 4. प्रार्थी द्वारा आवागमन के काम में लिया जा रहा रास्ता व ख.नं. 59 के उत्तरी तरफ से नवीन रास्ते के बीच किसी प्रकार का निर्माण, भवन, बोरवेल, वृक्ष इत्यादि नहीं है।
 5. खसरा नं. 60 के नजदीक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता खसरा नं. 81 है। जिसकी खसरा नं. 333/55 में से होकर निकटतम दूरी पर है जिसे भी दूरी 107 मीटर है। उक्त दूरी खसरा नं. 81 से खसरा नं. 60 की सीधी दूरी है जो खसरा नं. 333/55 से है।
 6. प्रार्थी द्वारा बयान में बताया गया कि एक वर्ष पूर्व हम खसरा नं. 59 के उत्तरी सीव के चिपते गुजरते थे, जिसको महावीर प्रसाद द्वारा अवैध तरीके से बन्द कर दिया गया। उक्त रास्ता वादी के सुविधाजनक है। इस रास्ते के एवज में भूमि या राशि दोनों में से माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार सहमत है। प्रतिवादी महावीर प्रसाद के अनुसार ख. नं. 59 में से ख. नं. 60 के लिए कोई रास्ता नहीं था। भाईचारे में फसल के लिए तीनों महीनों के लिए आवागमन हेतु चालू किया जिसको फसल पश्चात बन्द किया गया।
 7. उक्त ख.नं. 59 में पश्चिमी सीव के चिपते भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है।
 11. प्रार्थी द्वारा धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 60 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरु तक पहुँचने हेतु कोई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सदामत रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः आवागमन हेतु रास्ता निर्धारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे।

प्रमाणित जमाबंदी संवत् 2070-2073 से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 खसरा संख्या 60 के खातेदार हैं। अप्रार्थी संख्या 01 खसरा संख्या 59 का खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 खसरा संख्या 333/55 के खातेदार हैं।

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार

(क) खसरा संख्या 59 की उत्तरी सीमा से होकर एक सदामती रास्ता पाया गया है, जिसकी दूरी लगभग 226 मीटर है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

(ख) खसरा संख्या 333/55 में से होकर खसरा संख्या 81 (रिकॉर्डेड रास्ता) के माध्यम से खसरा संख्या 60 तक पहुँचने की दूरी लगभग 195 मीटर है, जो सभी संभावित मार्गों में निकटतम दूरी है।

धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का मूल उद्देश्य खातेदार को उसकी भूमि तक निकटतम, सुगम एवं न्यूनतम क्षति वाला रास्ता उपलब्ध कराना है, न कि अधिक दूरी वाला या अनावश्यक रूप से किसी एक खातेदार की भूमि पर अधिक भार डालना। यह भी स्थापित विधिक सिद्धांत है कि जब एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हों, तो कम दूरी, कम क्षतिप्रद एवं अधिक व्यवहारिक मार्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 59 में से प्रस्तावित मार्ग दूरी में अधिकतम (226 मीटर) है, जबकि खसरा संख्या 333/55 में से होकर निकटतम प्रस्तावित मार्ग मात्र 107 मीटर की दूरी पर स्थित है परन्तु इसी खसरे में से सीव के समीप-समीप प्रस्तावित मार्ग की दूरी

195 मीटर है। जिस पर पूर्व से ही रास्ते के निशानात मौजूद हैं एवं इस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज किये जाने से खसरा संख्या 333/55 विभक्त भी नहीं होता है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि खसरा संख्या 59 में से रास्ता दिया जाना दूरी अधिक होने के कारण उचित नहीं है तथा खसरा संख्या 333/55 में से 195 मीटर दूरी वाला मार्ग देना निकटतम, व्यवहारिक एवं धारा 251-A की भावना के अनुरूप है।

समस्त अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट एवं स्थल स्थिति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 60 तक पहुँच हेतु खसरा संख्या 333/55 में से होकर रास्ता निर्धारित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः

आदेश

धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं निम्न आदेश पारित किया जाता है प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 60 रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरु में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 में से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क "C" से "D" तक 30 (तीस) फीट चौड़ा रास्ता निर्धारित किया जाता है। खसरा संख्या 59 में से रास्ता निर्धारित किए जाने का निवेदन दूरी अधिक होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चूरु को निर्देशित किया जाता है कि खसरा संख्या 333/55 में से मार्ग निर्धारित किया जा रहा है, अतः प्रतिपूर्ति हेतु उसी खसरा संख्या 333/55 की समतुल्य एवं समीपवर्ती भूमि का चयन किया जाना उचित है, जिससे खातेदारों को वास्तविक क्षति की भरपाई हो सके। क्षतिपूर्ति उपरांत रास्ते का मौके पर सीमांकन कर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरु (चूरु)